आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *JaipurCity/203/2014-16*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 11 अंक 20 *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* जयपुर, 25 अक्टूबर, 2014 पृष्ठ-8 मूल्य : 5 रु. Website: www.nyayikjwala.org.

दीपावली का पर्व

अंधकार पर प्रकाश की विजय

दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का उत्सव है। यह वाक्य आपने अनेक बार सुना होगा। जब कोई बात बार-बार दोहराई जाती है, तो एक सहज जिज्ञासा होती है- क्या यह बात वाकई सच है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर प्रकाश जीतता है तो आपको हारा हुआ अंधकार कहीं पर दिखता क्यां नहीं? शायद अंधकार जान बचा कर भाग जाता है। लेकिन, जब कोई जल्दबाजी में भागता है,तो उसका कुछ माल-असबाब पीछे छूट ही जाता है। क्या किसी ने अंधकार का पीछे छूटा माल-असबाब देखा है? अगर देखा होता, तो वह इस बात का प्रमाण होता कि अंधकार की वास्तव में हार हुई थी। वैसे भी, आज के जमाने में किसी की बात पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए, प्रकाश की जीत के सम्बन्ध में एक सवाल पैदा होता है- जिसे प्रकाश की जीत कहा जा रहा है, वह वास्तव में जीत है या प्रकाश की राजनीति का नारा है? जी हां, आज हमारे देश में राजनीति एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां प्रकाश की राजनीति भी हो सकती है।

एक कहावत है- हाथ कंगन को आरसी क्या। यानी जो दिखता है, उसके बारे में कोई भ्रम नहीं होता। देखी-दिखाई सच्ची सुनी-सुनाई झूठी! अर्थात् प्रकाश भ्रम दूर करता है। क्या यह बात पूरी तरह सच है? क्या प्रकाश कोई भ्रम पैदा नहीं करता? सब जानते हैं, दुनिया में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूरज है। सूरज उगता है तो उजाला होता है। लेकिन, हकीकत यह है कि सूरज के उगते ही उजाला नहीं हो जाता। सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में आठ मिनट लगते हैं। यानी जिस वक्त सूरज को उगता हुआ देखते हैं, उस वक्त सूरज उस जगह से आठ मिनट ऊपर होता है। तो जहां भी आप सूरज को देखते हैं, वास्तव में सूरज वहां नहीं होता, यह प्रकाश का पैदा किया भ्रम नहीं है तो और क्या है?

प्रकाश और भी कई तरह से भ्रम पैदा करता है। धार्मिक लोग अपने धर्म को ही प्रकाश मानते हैं इसलिए, कुछ लोग अपने बच्चों के ऐसे नाम रखते हैं- धर्म प्रकाश, नूरुद्दीन, रोशन सिंह! प्रकाश के बारे में एक धार्मिक या दार्शनिक सोच काफी पहले से मौजूद है, यह धार्मिक या दार्शनिक सोच, वास्तव में इंसान की सोच होती है। क्या प्रकाश की भी कोई सोच होती है। अगर होती है तो प्रकाश अपनी सोच कभी बताता क्यों नहीं? वह बता ही नहीं पायेगा, क्योंकि प्रकाश प्रकाश होता है, ध्वनि नहीं होता, प्रकाश रोशनी दिखाता है, शोर नहीं मचाता, जबकि इंसान प्रकाश के बारे में बहुत शोर मचाता है। वैसे, आप चाहें तो प्रकाश के बारे में अलग तरह से सोच सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने दिमाग को सांड की तरह खुला छोड़ना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकाश तभी क्यों होता है, जब उसकी जब उसकी जरूरत नहीं होती- यानी दिन में। और, जब उसकी वास्तव में जरूरत होती है, यानी रात में, तब वह गायब क्यों हो जाता है? जरूरत के वक्त गायब! बिलकुल सरकारी कर्मचारियों जैसी आदत है न! यानी शासन चाहे ईश्वर चलाये या नेता, कर्मचारियों का व्यवहार एक जैसा ही होता है।

तमाम इंसान प्रकाश को बहुत महत्व देते हैं। उसका मुख्य कारण इंसान की अपनी कमजोरी है। इंसान अंधेरे में देख नहीं सकता न! यानी प्रकाश के प्रति इंसान का नजरिया सीधा अपने मतलब से जुड़ा है। और, जहां सवाल मतलब का हो, तो वहां इंसान गधे को भी बाप बोल सकता है। वैसे प्रकाश गधा नहीं होता, फिर भी कहावत अपनी जगह सही है। वास्तव में प्रकाश को महत्व देने का एक बहुत बड़ा व्यावहारिक कारण है। प्रकाश में इंसान बहुत से उपयोगी काम कर सकता है। पर, इंसान अंधेरे में भी कई काम करता है। और अंधेरे में जो काम किये जाते हैं, वे दिन के कामों से ज्यादा रोचक होते हैं। इन रोचक कामों के लिए, आधुनिक समाज ने एक बड़ा मजेदार नाम ईजाद किया है- नाइट लाइफ। आजकल विदेश जाने से पहले, यात्री उस देश की दूसरी खासियतें जानने से पहले, वहां की नाइट-लाइफ के बारे में जानना चाहता है। जी हां, नाइट लाइफ! उजाले में बिजनेस ज्यादा अहम होती है और अंधेरे में लाइफ! आपने मीडिया में नाइट लाइफ की खूब चर्चा सुनी होगी। कभी डे लाइफ की चर्चा सुनी है? लगता है आधुनिक समाज

(शेष पृष्ठ दो पर)

फिर से मन के दीप जलाओ

फिर से मन के दीप जलाओ
विश्वासों के शब्द जगाओ
छोटे-छोटे अंधियारों में
खुशियों के संसार सजाओ।
जीवन के सूने आंगन में
स्मृतियों की जोत जलाओ
बहुत समय हलचल में बीता
अब कुछ देर सहज हो जाओ।
बीता समय नहीं आता है
सपनों के सुरताल बजाओ
सुबह शाम के सन्नाटों में
आशा का उन्माद जगाओ।
सब कुछ भीतर छिपा हुआ है
मत बांधो कुछ बाहर आओ
सांसों के इस शीशमहल में
हंसो-हंसाओ झूमो गाओ।
फिर से मन के दीप जलाओ
रचना के संसार सजाओ
दुख के सपनों को बिसराओ
सुख का समय बधाई गाओ।
तुम समय को लांघ जाओ -**वेदव्यास**

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्चन्तुः मा कश्चिदः दुखभाग्यवेतः

**''सभी सुखी रहें सभी निरोग रहें सभी भद्र व विद्वान हों
प्राणीमात्र तक किसी को कोई कष्ट ना हो॥''
यह हमारी संस्कृति व सोच है जो समस्त विश्व को एक कुटुम्ब के रूप में मानते हुये सभी के लिये सुखों की कामना करती है।**

दीपावली के इस शुभ अवसर पर
''न्यायिक ज्वाला'' के पाठकों को पत्र की ओर से
हार्दिक शुभकामनाएं

सम्पादक

दीप हूं जलता रहूंगा

दीप हूं जलता रहूंगा, आंधियों के गांव में
मैं पथिक चलता रहूंगा, धूप हो या छांव में।
त्याग मेरी जिन्दगी का एक धारा है
मौत से खेलें यही जीवन हमारा है
मैं अजय हूं, मैं अडिग हूं, ज्योति की ज्वाला
तम पिया मैंने दिया धरती को उजियाला
दीप हूं जलता रहूंगा आंधियों के गांव में
मैं पथिक चलता रहूंगा, धूप हो या छांव में।
हर जवानी दीप है वो झुक नहीं सकती
शूल राहों में बिछे हों रुक नहीं सकती
मैं विजय की हूं किरण युग बांध ना पाया
प्राण देने के लिये, जल जल के मुस्काया।
दीप हूं जलता रहूंगा आंधियों के गांव में
मैं पथिक चलता रहूंगा, धूप हो या छांव में।
यह उजाला दीप के बलिदान का बल है
जागरण की यह घड़ी, निर्माण का कल है
मैं नई आशा, नया शुभ प्रातः लाऊंगा
मैं धरा पर स्वर्ग की आभा सजाऊंगा
दीप हूं जलता रहूंगा, आंधियों के गांव में
मैं पथिक चलता रहूंगा, धूप हो या छांव में
तुम समय को लांघ जाओ
वेदव्यास

सम्पादकीय ....

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पद

उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने के बाद कोई सरकारी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करने की अवधि निर्धारित करने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम द्वारा प्रधान न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राज्यपाल का पद ग्रहण करने पर यह मुद्दा जोर-शोर से चर्चा में आया था। प्रधान न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में मोहम्मद अली की जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका में शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को एक निश्चित अवधि तक कोई भी सरकारी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करने और सरकार को प्रधान न्यायाधीश या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श और उनकी सहमति के बगैर किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति दत्तू के पूर्ववर्ती प्रधान न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन इस संबंध में राय व्यक्त करते हुए कहा था कि सेवानिवृत्त हो रहे न्यायाधीशों को कम से कम दो साल तक कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि इस अवधि में कोई भी सरकारी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेंगे।

हम इस वास्तविकता से इनकार नहीं कर सकते कि देश की अदालतों में लंबित मुकदमों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 80 प्रतिशत मामलों में सरकार एक पक्षकार होती है और वह चाहती है कि न्यायपालिका के पीठासीन अधिकारी उनके आज्ञाकारी अधिकारी की भूमिका निभाये, न कि वे न्यायाधीश बन कर न्याय करने की ठाने। इसके बदले में सरकार उन्हें यह संदेश भी देती है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें कोई पद दे ही दिया जायेगा। इस प्रलोभन में कुछ न्यायाधीश अवश्य आते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पद भी तत्काल मिल जाता है किन्तु क्या कभी यह जानने का प्रयास किया जाता है कि उन न्यायाधीशों ने जिनको सेवानिवृत्ति के बाद पदों से उपकृत किया गया है उन्होंने कितने ऐसे निर्णय सरकार के हित में देकर 'न्याय' के साथ अन्याय किया है? प्रश्न फिर यही उठता है कि जजों को जज कौन करे? इसलिए आज भी आवश्यकता इस बात की है कि प्रथम तो सेवानिवृत्त जजों को स्वयं आगे आकर पद स्वीकार नहीं करना चाहिए और अगर वे स्वीकार करते हैं तो उनके फैसलों की समीक्षा होनी चाहिए ताकि लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर बना रहे।

सूचना का अधिकार और लम्बित मामले

प्रक्रियागत जटिलताएं ही हैं बड़ी बाधा

नई दिल्ली। केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में सात वर्षों में पंजीकृत एक चौथाई से ज्यादा शिकायतें व अपीलें (31,591 मामले) और देश के 23 सूचना आयोगों में अपीलों और शिकायतों सहित 1.98 लाख से ज्यादा मामले लंबित रहने के बीच आरटीआई कार्यकर्ताओं ने प्रक्रिया को सरल बनाने और इसे विकास की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के हथियार के रूप में प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है।

आरटीआई आंदोलन के प्रणेताओं में शामिल समाजसेवी अरुणा राय ने कहा कि आज सूचना के अधिकार की व्यापकता को लोग आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं। दरअसल सूचना के अधिकार को महज भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ करने तक सीमित करके देखने की प्रवृत्ति बन गई है। वास्तव में इसे समूचे लोकतंत्र का कायाकल्प करने की वैकल्पिक राजनीति से जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जानने का हक और पारदर्शिता की अवधारणा मूलतः भारतीय लोकतंत्र के मौजूदा संकट को हल करने और अंततः नीतियों के निर्धारण व निर्माण और क्रियान्वयन व विकास की प्रक्रिया में जनभागीदारी सुनिश्चित करने का हथियार है।

सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत सीआइसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2006-07 से 2012-13 के बीच सात वर्ष में आयोग में 1,47,924 अपीलें और शिकायतें पंजीकृत की गईं। इस अवधि में इनमें 1,16,333 अपीलों व शिकायतों का निपटारा किया गया। इस तरह से सात वर्षों में 31,591 शिकायतें और अपीलें आयोग के समक्ष लंबित हैं। दिसम्बर, 2013 तक सबसे ज्यादा अपीलें व शिकायतें उत्तर प्रदेश (48,442) में लंबित हैं। इसके बाद महाराष्ट्र (26,115) में सबसे ज्यादा मामले लम्बित हैं।

आरटीआई आंदोलन में शामिल रहे दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बारे में मुख्य बाधा सूचना देने वालों की मानसिकता व प्रक्रिया को बताया है। सिसोदिया ने कहा कि आरटीआई के तहत सूचना देने में आनाकानी करने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि अधिकारियों को लगता है कि पहले जो लोग उनके सामने खड़ा होने का साहस नहीं करते थे, वे अब हिसाब मांग रहे हैं। सूचना का अधिकार कानून 12 अक्टूबर 2005 को अमल में आया था।

जानेमाने आरटीआई कार्यकर्ता लक्ष्मीनारायण मोदी ने कहा कि सरकार ने सूचना का अधिकार तो दे दिया है, इसके उल्लंघन पर जुर्माना लगाने की भी व्यवस्था है लेकिन फिर भी इस कानून की धार को भोथरा बनाने की कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जहां मांगी जाने वाली सूचनाओं पर सही जानकारी देने की बजाय गुमराह करने की कोशिशें भी हुई। आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले और उनकी हत्या की घटनाएं भी सामने आई हैं।

बहरहाल, एक वर्ग ऐसे भी आरोप लगा रहा है कि कुछ निहित स्वार्थों से प्रेरित लोग आरटीआई को भयादोहन का जरिया बना रहे हैं। इस बीच, आरटीआई के तहत आयोग ने कहा कि दूरभाष के माध्यम से किए गए वाद (शिकायतों) की संख्या करीब एक लाख है। इनमें से कई संचिकाएं आयोग के रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल के अनुसार नष्ट कर दी गई हैं। सीआइसी मामलों की सुनवाई के बाद दंड अधिरोपण की कार्यवाहियों का वर्षवार ब्यौरा नहीं रखती है। आरटीआई से यह भी खुलासा हुआ है कि आयोग जनसूचना अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाहियों का विवरण नहीं रखता है। आयोग ने हालांकि बताया कि जनवरी, 2014 तक आयोग में 987 मामलों में अर्थ दंड आरोपित दंड माफ किए गए।

सीआईसी ने कहा कि वह वादियों को क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की संख्या के बारे में वर्षवार ब्यौरा संकलित नहीं करती है। आयोग ने बताया कि 2007 से अब तक करीब सात वर्षों के दौरान आयोग को 4,42,393 पत्र व प्रपत्र प्राप्त हुए।

अंधकार पर.... (पृष्ठ एक का शेष)

में डे लाइफ नाम की कोई चीज होती ही नहीं।

कहते हैं, पहली बार प्रकाश तब हुआ था, जब ईश्वर ने कहा-''लेट तेअर बी लाइट-प्रकाश हो!'' लगता है जैसे फिल्म मुगले आजम में अकबर-ए-आजम, पापाजी पृथ्वीराज कपूर रौब से हुक्म दे रहे हों- ''तामील हो!'' यहां एक बार फिर अपने दिमाग को सांड बनाइये और कल्पना कीजिए कि अगर ईश्वर-''प्रकाश हो'' कहने के बजाय ''अंधकार हो'' बोल देता तो क्या होता? मैं धार्मिक लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि नाराज होने से पहले पूरी बात सुन लें। अगर ईश्वर ने ''अंधकार हो'' कहा होता, तो आज जिसे प्रकाश कहा जाता है, उसका नाम अंधकार होता। तब इंसानों को प्रकाश के बजाय अंधकार में दिखता। फिर धार्मिक लोग प्रकाश के बजाय अंधकार को अच्छी चीज मानते। आखिर प्रकाश और अंधकार हैं क्या? दो नाम ही तो हैं। और, नाम तथा उनके अर्थ बदल भी तो सकते हैं। एक ही शब्द के, अलग-अलग स्थानों पर, अलग-अलग अर्थ होते ही हैं न! शेक्सपियर ने भी तो कहा है- 'नाम में क्या रखा है?' मैं जानता हूं, भक्त लोग भारी ऐतराज कर सकते हैं कि ईश्वर कभी गलत नहीं बोल सकता। तो यह किसने कहा कि ईश्वर गलत बोल सकता है? ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि होती है। अगर ईश्वर ''अंधकार हो'' बोल देता तो अंधकार ही प्रकाश का सही नाम होता।

आइए, इस बात को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कॉमनसेंस की बात है, जब ईश्वर ने कहा होगा- ''लैट देअर बी लाइट'', तब सूरज उगा होगा। जब सूरज उगता है तब रोशनी होती है। लेकिन जब सूरज उग आता है, तो क्या सब जगह उजाला हो जाता है? हम जानते हैं हकीकत में ऐसा नहीं होता। जब पूर्वी देशों में उजाला होता है, यानी जिस समय दुनिया में उजाला होता है, उसी समय दुनिया में अंधेरा भी होता है, तो क्या आप यह कह सकते हैं कि जहां प्रकाश है, वह जगह अच्छी है, और जहां अंधकार है वह जगह बुरी है? ऐसा तो ईश्वर भी नहीं कहेगा! इंसान अंधकार को इसलिए पसंद नहीं करता, क्योंकि अंधेरे में बुरे कर्म किये जा सकते हैं। लेकिन, बुरे कर्म करता कौन है?

इंसान के साथ परेशानी यह है कि वह प्रकाश के बारे में जितना सोचता है, उतना अंधकार के बारे में नहीं सोचता। जगर प्रकाश, प्रकाश में सक्रिय होने वाले जीवों के लिए फायदेमंद है, तो अंधकार उन जीवों के लिए फायदेमंद है जो अंधकार में सक्रिय होते हैं। जैसे इंसान अपनी जिंदगी प्रकाश में जीता है, वैसे ही निशाचर जीव अपनी जिंदगी अंधकार में जीते हैं। अंधकार में जीने वालों की जिंदगी भी जिंदगी ही होती है। उनके जीवन में भी वे सारे पहलू होते हैं जो प्रकाश में जीने वालों की जिंदगी में होते हैं। अगर अंधकार नष्ट हो जाएगा तो उन जीवों का जीवन भी नष्ट हो जाएगा। उन जीवों का भी पर्यावरण में बड़ा महत्व है।

अंधकार भी पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आंख खोल कर देखेंगे तो आपको अंधेरे के फायदे भी साफ दिखाई देंगे। सच हमेशा प्रकाश में ही नहीं दिखता। दुनिया में अंधेरा और उजाला सदा साथ उपस्थित रहते हैं। अंधेरा और उजाला एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। याद रखिए, हर पीली चीज सोना नहीं होती। हर सफेद चीज दूध नहीं होती। और हर चमकदार चीज प्रकाश नहीं होती। जिसे आप प्रकाश समझते हैं, वह आपका भ्रम भी हो सकता है। इसलिए मन के भ्रम से बाहर निकलिए, आप प्रकाश को अच्छा मानते हैं तो जरूर मानिए, लेकिन याद रखिए, अंधेरा भी बुरा नहीं होता।

'कानूनी प्रणाली को ज्यादा मानवीय व संवेदनशील बनाने की जरूरत'

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जज और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति ए.के. सीकरी ने आपराधिक मामलों के लिए मानवीय और संवेदनशील न्याय प्रणाली विकसित करने की जरूरत बताई है। सीकरी यहां नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) की ओर से आयोजित आपराधिक मामलों के न्याय के फैसलों में गलती विषयक कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। इस कार्यशाला का आयोजन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की ओर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनीशिएटिव (सीएचआरआइ) के साथ मिलकर किया गया था।

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस कार्यशाला का उद्देश्य ऐसे आपराधिक मामलों को साझा करना था जिसके निर्णय में कुछ गलत हो। न्यायमूर्ति सीकरी ने कार्यशाला के दौरान बताया कि किस प्रकार से अक्सर आपराधिक मामलों में आरोपी और पीड़ित न्याय के लाभ से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कई उदाहरण देकर कानूनी प्रणाली को आधुनिक बनाने पर जोर दिया। कानून मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन जरूरी हो गया है। राज्यों के हाईकोर्ट में इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के सम्मेलनों और चर्चाओं से जजों को ऐसे मामलों में एक-दूसरे के विचार जानने का मौका भी मिलेगा।

बताते चलें कि भोपाल स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने इस साल के अंत तक देश के सभी 24 उच्च न्यायालयों के जजों के लिए कानून और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है। इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार और साइबर कानून से जुड़े मुद्दे भी शामिल होंगे। अकादमी अगले साल की शुरुआत में इसी तरह का सम्मेलन जिला स्तर के जजों के लिए भी करने की योजना बना रही है। इस सम्मेलन में वाणिज्यिक और आर्थिक कानूनों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) एक स्वतंत्र सोसायटी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इस अकादमी के लिए धन की व्यवस्था केन्द्र सरकार करती है।

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय बने मिसाल

जयललिता की जमानत की अर्जी खारिज करने में कर्नाटक हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला काम आया। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे अनेक फैसले और दिशा-निर्देश दिए हैं जो सम्बन्धित लोगों के आगे भी काम आ सकते हैं।

जयललिता की जमानत की अर्जी खारिज करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है कि 'भ्रष्टाचार मानवाधिकार का उल्लंघन है। इसके कारण आर्थिक विषमता बढ़ती है। इसलिए उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं बनता।' जबकि सरकार भी चाहती थी कि जमानत स्वीकार हो जाए।

अब जरा इस देश में भ्रष्टाचार की व्यापकता पर एक नजर डाल ली जाए। पिछले साल के एक अध्ययन के मुताबिक, इस देश के लोग हर साल करीब छह लाख तीस हजार करोड़ रुपए घूस देने को मजबूर होते हैं। इस साल तक तो यह रकम और भी बढ़ चुकी होगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी इसी साल कहा है कि भारत में भ्रष्टाचार के कारण गरीबी खत्म नहींहो पा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले के अपने भाषण में अपनी सरकार में व्याप्त भीषण भ्रष्टाचार की मौजूदगी को स्वीकारा था।

इन सब बातों को देखते हुए अदालतों की कैसी राय बन रही है, इसकी भी एक झलक देख ही लीजिए। पिछले साल 11 सितम्बर को ओमप्रकाश चौटाला की जमानत की अर्जी पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'यदि उन्हें अभी सत्ता दे दी जाए तो क्या वे इन बीमारियों के कारण लेने से इनकार कर देंगे? सत्ता के लिए तो वे तुरन्त स्वस्थ हो जाएंगे।'

अदालत की यह आशंका सही भी साबित हुई। चौटाला साहब बीमारी के आधार पर ही जमानत पर थे पर एक-एक दिन में नौ-नौ चुनावी सभाएं कर रहे थे और अन्तोगत्वा उन्हें फिर जेल भेज दिया गया है। वहीं 17 जुलाई, 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह आंदोलनों के दौरान हिंसा करने और सार्वजनिक दलों की मान्यता समाप्त करने की संभावना तलाश रहे हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से कहा कि वह इस बारे में गौर करके अपनी राय दे। पता नहीं कि अब तक केन्द्र सरकार ने इस पर क्या किया। नवम्बर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पीड़ा के साथ कह दिया था कि इस देश में भ्रष्टाचार विरोधी कानून विफल साबित हो रहे हैं। हालांकि बाद के वर्षों में स्थिति और भी बिगड़ी है।

चारा घोटाले के मामले में बिहार के एक सरकारी अधिकारी की जमानत की याचिका पर विचार करते हुए सात मार्च, 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहां हर कोई इस देश को लूटना चाह रहा है। भ्रष्ट लोगों से छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता यही है कि ऐसे कुछ लोगों को लैम्प पोस्ट से लटका कर फांसी दे दी जाए।

न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू के खंडपीठ ने कहा कि हालांकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता वरना आप जैसे लोगों को लैम्प पोस्ट पर लटका देते। दिल्ली हाईकोर्ट ने नौ नवम्बर, 2007 को कहा था कि भ्रष्टाचार को साधारण अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त, 2009 को कहा था कि जो सत्ता में है वे गड़बड़ करने वालों का बचाव या तो प्रशासनिक आदेश जारी कर करते हैं या फिर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न करके। शीर्ष नेताओं, अफसरों, जजों, पत्रकारों और कुछ अन्य लोगों के किए गए सरकारी आवासों पर अवैध कब्जे को तत्काल हटाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.एन. अग्रवाल और जी.एस. सिंघवी के खंडपीठ ने पांच अगस्त, 2008 को कहा, पहले यह कहा जाता था कि इस देश को भगवान ही बचा सकता है। लेकिन अब हमें लगता है कि भगवान भी इस देश की सहायता नहीं कर सकता। वह सिर्फ मूक दर्शक ही बना रहेगा।

सरकारी मकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने में केन्द्र सरकार की अरुचि को देखते हुए खंडपीठ ने यह टिप्पणी की थी।

दस अक्टूबर, 2010 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने देश में भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं है। भ्रष्टाचार बेरोकटोक है। बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। नवम्बर 2012 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया ने देश के सभी 21 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा था कि उच्च न्यायालयों को चाहिए कि वे भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष बेंच का गठन करे। साथ ही वे निचली अदालतों के उन जजों को अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ देकर उन्हें प्रोत्साहित करें जो भ्रष्टाचार के मुकदमे की सुनवाई के मामले में अपने लक्ष्य को समय पर हासिल कर लेते हैं।

इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल दस मार्च को भी एक निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसदों और विधायकों से सम्बन्धित मुकदमों की सुनवाई एक साल के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। अगर निचली अदालत को किसी विशेष कारण से इसमें देरी हो रही हो तो वह सम्बन्धित हाई कोर्ट को इसका लिखित कारण बताए।

अगर अब सजा मिलने की तारीख से ही सांसद व विधायक को अपनी सीट से वंचित हो जाना पड़ रहा है तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही संभव हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.के. पटनायक और जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय के पीठ ने दस जुलाई, 2013 को इस सम्बन्ध में आदेश दिया था। सर्वोच्च अदालत ने सजा होने के बावजूद सांसदों-विधायकों कायम रखने वाली जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8/4 को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

इतना ही नहीं, अगर मतदाताओं को उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मिल पा रही है तो वह भी 2003 के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के कारण ही। अन्यथा तत्कालीन सरकार ने तो इस सूचना को रोकने के लिए कानून बना दिया था।

एक अगस्त, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार आपराधिक न्याय प्रक्रिया को दुरस्त करे। फिर 27 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपना मंत्रिमंडल चुनने का अधिकार है। उन्हें इस बारे में कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। लेकिन अपने संवैधानिक दायित्वों का अहसास करते हुए उन्हें चाहिए कि वे भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों के आरोपियों को मंत्री नहीं बनाएं।

इसके अलावा स्पेक्ट्रम घोटाले में केन्द्रीय मंत्री ए. राजा को जेल भेजा गया वहीं कोयला घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में करवा रहा है जहां सीबीआई प्रमुख की भी नींद उड़ी हुई है।

यदि देश की सर्वोच्च अदालत इतना कठोर रुख नहीं अपनाती तो शायद ही भ्रष्टाचार एवं घोटालों पर रोक की उम्मीद की जा सकती है।

क्या अब सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय बैंच स्थापित होगी?

नई दिल्ली। न्याय के लिए अंतिम अपील के वास्ते मुकदमा करने वालों को हमेशा दिल्ली की यात्रा करनी पड़ती है। इस कठिनाई से उन्हें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पीठें देश के चारों कोनों में स्थापित करने के सुझावों पर सुप्रीम कोर्ट हमेशा चिन्ता जताता रहा है और उन्हें अस्वीकार करता रहा है किन्तु नये मुख्य न्यायाधीश कर्नाटक के एच.एल. दत्तू ऐसे वादियों के कष्टों के प्रति संवेदनशील नजर आते हैं। उन्होंने अपीलों के वास्ते ऐसी पीठों का विचार रखा है।

उन्होंने उच्च न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए नेशनल कोर्ट ऑफ अपील्स स्थापित करने का विचार रखा है जिसकी पीठें सभी प्रमुख नगरों में होंगी बल्कि उन्होंने केन्द्र सरकार को इस बारे में छह माह में निर्णय करने का आदेश दिया है। जस्टिस दत्तू ने यह आदेश पुडुचेरी के एक वकील द्वारा उनकी पीठ के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका पर विचार करते हुए दिया। इस पीठ में जस्टिस एस.ए. बोबडे तथा अभय मनोहर सप्रे भी शामिल हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने फैसला दिया ''एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील स्थापित करने का सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण प्रकृति का मुद्दा उठाया गया है, हम रिट याचिका को स्वीकार कर रहे हैं तथा केन्द्र को इस अभ्यावेदन पर कानून के अनुसार छह माह में निर्णय लेने का निर्देश दे रहे हैं।''

दत्तू का 15 महीनों का लम्बा कार्यकाल है। इस कारण वे सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठें सृजित करने के कारण इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जिसका उनके अधिकांश पूर्ववर्तियों तथा न्यायविदों ने प्रतिरोध किया है।

इस सम्बन्ध में, विधि आयोग द्वारा 1989 से अपनी विभिन्न रिपोर्टों में की जा रही सिफारिशों का उल्लेख करते हुए प्रार्थी वकील वी वसंथा कुमार ने पीठ के समक्ष दलील रखी कि देश के अन्य भागों से सुप्रीम कोर्ट की दूरी बहुत अधिक है और लम्बी यात्रा तथा मुकदमे का खर्च दूरदराज इलाकों के नागरिकों को देश के सर्वोच्च न्यायालय तक आने से रोक देते हैं। यदि नेशनल कोर्ट ऑफ लॉ अपील की क्षेत्रीय पीठ स्थापित की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट को अत्यधिक बोझ से राहत भी मिलेगी। इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा उनके अभ्यावेदन पर विचार करने से इनकार के बाद वकील कुमार ने न्यायालय का द्वार खटखटाया था। पूर्व में 1998 में विधि आयोग की 125वीं रिपोर्ट में इसके तत्कालीन अध्यक्ष जस्टिस (सेनि) डीए देसाई ने लिखा था कि दो एक अवसरों पर भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ दक्षिण में स्थापित करने पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी, किन्तु इस प्रस्ताव को उसका समर्थन नहीं मिल पाया। इसका नतीजा है कि तमिलनाडु, गुजरात, आसाम या मेघालय जैसे दूर के इलाकों से आने वालों को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए बहुत अधिक धन यात्रा पर खर्च करना पड़ता है। ''हाईकोर्ट में मामला संभालने वाले अपने वकील को साथ लाने की रीत है, जो लागत और भी बढ़ा देती है।'' यह कहते हुए जस्टिस देसाई ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर ''कार्य का बहुत भारी और असहनीय बोझ'' है जिससे उन्हें ध्यान देने के लिए बहुत कम समय मिलता है जिसके परिणामस्वरूप ''निर्णय देने में विलम्ब करने की एक अंतर्निर्मित प्रवृत्ति'' बन जाती है।

अगस्त 2009 में अपनी 229वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने पुन: इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक मामलों तथा अन्य संबंधित मुद्दों को संभालने के लिए दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की केवल संविधान पीठ रखी जाए तथा चार क्षेत्रों दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद, कोलकाता तथा मुम्बई में कैसेशन बेंच रखी जाएं। यह रिपोर्ट आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. जस्टिस (सेनि) ए. आर. लक्ष्मणन ने इस मुद्दे को स्वप्रेरणा से उठाया है और वह चाहता है कि विशिष्ट क्षेत्र के हाई कोर्टों द्वारा दिये गये आदेशों/निर्णयों से उत्पन्न होने वाले अपील संबंधी कार्यों को संभालने के लिए उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के लिए पीठें हों। इसने लिखा कि कैसेशन बेंचों (पीठों) के साथ संविधान पीठ का विचार कोई नया नहीं है क्योंकि लोकतांत्रिक परिवर्तन के साथ यह इटली, मिस्र, पुर्तगाल, आयरलैंड, अमरीका, डेनमार्क तथा कई अन्य देशों में आया है। आयोग ने यह सिफारिश भी की कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर क्रमशः 70 तथा 65 वर्ष की जाए। यह सिफारिश उच्चतम न्यायालयों में लम्बित चल रहे बहुत अधिक मामलों तथा इन न्यायालयों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को ढूंढने की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए की गई थी। अभी सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट दोनों में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है।

निर्लज्ज तरीके से आवंटित किए गए कोयला ब्लॉक : अदालत

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में विशेष अदालत ने कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन की पूरी प्रक्रिया निर्लज्ज तरीके से के समान है।

अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के एक मामले में सीबीआई की मामला बंद करने की रिपोर्ट मंजूर करने से इनकार करते हुए ये टिप्पणियां की। इस मामले में अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता, तत्कालीन संयुक्त सचिव के.एस. क्रोफा और कोयला मंत्रालय के सीए विभाग के तत्कालीन निदेशक के.सी. समरिया को आरोपी के रूप में सम्मान किया है। विशेष अदालत ने सीबीआई की मामला बंद करने संबंधी रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सीबीआई की जांच अधूरी है और उसके निष्कर्ष ऊपरी तौर पर गलत है। एजेंसी कोयला घोटाला मामले में मध्य प्रदेश स्थित कमल स्पांज स्टील एंड पावर लिमिटेड (के एस एस पी एल), उसके अधिकारियों और कोयला मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामले बंद करने की इजाजत चाहती थी। अदालत ने कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट आरोपियों की ओर से दिया गया बचाव अधिक लगती है और मामले को बंद करने की मांग करने के दौरान तथ्यों की शायद ही समझ थी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर ने अपने 31 पन्नों के आदेश में कहा कि शुरुआत में मैं हालांकि कह सकता हूं कि मौजूदा मामले में जो जांच की गई है वह न सिर्फ अधूरी है बल्कि ऐसा लगता है कि अंतिम परिणाम पर पहले फैसला करके और उसके बाद जांच की गई है और उसी के मुताबिक अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई है। मौजूदा मामले में कोई भी महत्व के लायक जांच नही की गई है। अदालत ने गुप्ता के अतिरिक्त कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव के.एस. क्रोफा, तत्कालीन निदेशक (कोयला आवंटन-1 सेक्शन) के.सी. सामरिया, के.एस.एस.पी.एल. के प्रबंध निदेशक पवन कुमार अहलूवालिया, चार्टर्ड एकाउंटेंट अमित गोयल और फर्म को 31 अक्टूबर को आरोपी के तौर पर समन किया था। सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), धारा 409 (लोकसेवक द्वारा आपराधिक विश्वास हनन) और धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत तलब किया।

यह आदेश मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर आया जिसमें प्राथमिकी में के एस एस पी एल, उसके निदेशक, पवन, कमलजीत आहलूवालिया, प्रशांत आहलूवालिया, गोयल और कुछ अज्ञात लोक सेवकों को मध्य प्रदेश में थेसगोरा-बी, रुद्रपुरी कोयला ब्लॉक हासिल करने के लिए तथ्यों की गलत बयानी करने को लेकर आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था।

मुलाकाती रजिस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

नई दिल्ली। टू जी प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक रंजीत सिन्हा के निवास की आगंतुकी सूची के विवाद में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है।

इस सूची में कथित रूप से दिखाया गया है कि जांच ब्यूरो के निदेशक 2 जी प्रकरण और कोयला खदानों के आवंटन प्रकरण के अनेक अभियुक्तों ने अक्सर मिलते रहते थे। प्रधान न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष अभियोजक आनंद ग्रोवर ने कहा कि सीलबंद लिफाफे में दो रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई है जो मामले की सुनवाई करेगी।

शीर्ष अदालत ने 22 सितम्बर को इस मामले में 2 जी प्रकरण की सुनवाई के लिए नियुक्त विशेष अभियोजक से मदद मांगी थी। अदालत का विचार था कि इस संबंध में दिया गया कोई भी आदेश करोड़ों रुपए के 2जी प्रकरण को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशंस के इस अनुरोध पर भी सुनवाई के लिए राजी हो गई है कि आगंतुक सूची का खुलासा करने वाले विसलब्लोअर के नाम की जानकारी सीलबंद लिफाफे में देने का आदेश वापस लिया जाए।

अदालत ने जांच ब्यूरो के निदेशक के खिलाफ आरोपों से सम्बन्धित सीबीआई की फाइलें और आगंतुकों की सूची वाले रजिस्टर सहित सारे दस्तावेज ग्रोवर को सौंप देने का निर्देश दिया था।

डेक्कन हेराल्ड से साभार

2 जी स्पेक्ट्रम मामला
सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ने आरोपियों से सीबीआई निदेशक की मुलाकात को बताया अनुचित

नई दिल्ली। विशेष सरकारी वकील आनंद ग्रोवर ने सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपियों से सिन्हा की मुलाकातें अनुचित हैं। उनका आचरण आपराधिक अवमानना के दायरे में आता है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए।

ग्रोवर ने चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच को 15 पेज का नोट सौंपा। ग्रोवर को कोर्ट ने व्हिसलब्लोअर का नाम बताने के आदेश के कानूनी पहलुओं की जांच को कहा था।

व्हिसल ब्लोअर के नाम से कुछ हासिल नहीं होगा

ग्रोवर ने कोर्ट से उसका एक आदेश वापस लेने की मांग भी की है। इसमें वकील प्रशांत भूषण को विजिटर्स लिस्ट एवं अन्य दस्तावेज मुहैया कराने वाले का नाम बताने को कहा गया था।

ग्रोवर ने कोर्ट से कहा कि विजिटर्स लिस्ट लीक करने वाले का नाम सामने आने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा। यह मामला निजी नहीं है। इसकी जानकारी हासिल करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। ग्रोवर ने सीलबंद लिफाफे में दो रिपोर्ट पेश करने का बेंच से अनुरोध किया था। इसे मान लिया गया।

गलत दस्तावेज दिए तो दस लाख जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने याची की हरकत को अदालत मान की कार्रवाई

नई दिल्ली। अपनी याचिका के साथ गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले पर सुप्रीम कोर्ट ने दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट के साथ शरारत की है।

न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने ये आदेश द्वारका की एक हाउसिंग सोसायटी से सम्बन्धित मामले में सुनाया है। पीठ ने याचिकाकर्ता को दस लाख रुपये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया है। जुर्माने की यह रकम सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता आर.एन. अग्रवाल के वकील की ये दलीलें ठुकरा दीं कि ऐसा टाइपिस्ट की गलती के कारण हुआ है। पीठ ने कहा कि ये दलील स्वीकार करने लायक नहीं है। याचिका के साथ लगाए गए दस्तावेजों और मूल दस्तावेजों को देखकर लगता है कि यह और कुछ नहीं बल्कि याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के साथ खिलवाड़ और शरारत की है। इस मामले में याचिकाकर्ता आर.एन. अग्रवाल और प्रतिवादी आर.सी. बंसल द्वारका की एक सोसाइटी के मामले में आरोपी और गवाह हैं। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। याचिकाकर्ता आर.एन. अग्रवाल की मांग थी कि प्रतिवादी आर.सी. बंसल इस मामले में गवाह हैं।

निचली अदालत ने अग्रवाल की अर्जी स्वीकार करते हुए बंसल को भी अभियुक्त बना दिया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने बंसल को अभियुक्त बनाने का निचली अदालत का आदेश निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की। याचिका के साथ अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज दाखिल किए, उनमें और मूल दस्तावेजों में अंतर था। मसलन, अग्रवाल की याचिका के साथ दाखिल की गई बंसल के बयान की प्रति में कुछ पेज अलग से जोड़े गए थे जो मूल गवाही का हिस्सा ही नहीं थे। याचिका के साथ दाखिल एफआईआर की प्रति में अग्रवाल के खिलाफ दर्ज सारी बातें हटा दी गई थीं जबकि मूल एफआईआर में आरोप दर्ज थे। आर.एन. अग्रवाल को अभियुक्त बनाने वाले सम्मन आदेश की पेश की गई प्रति में से भी कुछ हिस्सा हटा दिया गया था। एक गवाह के धारा 161 के दर्ज बयान की पेश की गई प्रति में भी मूल बयान का कुछ हिस्सा हटा दिया गया था।

खरी-खरी

सेवानिवृत्त जज-अधिकारी का मनोनीत होने का मोह : हर बुराई की जड़

डॉ. मानचंद खंडेला
9462817770

सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही में सेवानिवृत्त हुए मुख्य न्यायाधीश श्री लोढ़ा ने घोषणा की थी कि अब वे कोई भी सरकारी मनोनयन स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका अच्छा स्वागत किया गया था। इसका सीधा दूसरा अर्थ यह निकलता है कि जो ऐसा नहीं करते हैं वे उचित नहीं करते हैं। ऐतिहासिक अनुभव तो यह ही सिद्ध करता है। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के एक और मुख्य न्यायाधीश गवर्नर पद को भारी विरोध बल्कि अपमान, उपहास और उपेक्षा के बाद भी एक तरह से मुंह ढक कर स्वीकार और गृहण कर लेते हैं। इसी प्रकार एक जनहित याचिका में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद एक समय सीमा तक कोई भी सरकारी पद स्वीकार नहीं किये जाने संबंधी बात को खारिज तत्काल सर्वोच्च न्यायालय के ही जजों की बैंच ने कर दिया। इतिहास में ऐसा भी उदाहरण है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश ने सेवानिवृत्ति के बाद राजनैतिक दल के मानवाधिकार प्रकोष्ठ के संयोजक बनने में भी झिझक महसूस नहीं की। उदाहरण तो इस बात के भी हैं कि एक व्यक्ति राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के सारे काम, नेताओं की जी हुजूरी, अपनी पत्नी के सम्पर्कों का लाभ उठाते हुए उच्च न्यायालय के जज का पद हथिया लिया और सेवानिवृत्ति के लगभग बीस साल बाद तक भी लालबत्ती का आनंद ले रहे हैं। एक और ऐसे ही उच्च न्यायालय के जज उसी जज के साथ बिना पावर की कमेटी के सदस्य बने हुए हैं। पता नहीं वे दोनों विगत वर्षों में एक विचारधारा विशेष के दलों की सरकारों के समय कितनी बार जांच समितियों, आयोगों और मंचों की शोभा बढ़ाते रहे हैं। इस संदर्भ में मूल और सार्थक बात यह है कि पूर्व जज जब सेवानिवृत्ति के बाद इतने लम्बे समय तक क्रियाशील, कर्मशील, शारीरिक रूप से क्षमतावान रहकर अधिक थकावट वाले काम करते रह सकते हैं, उन पर सेवाकाल से अधिक सरकारी खजाने पर वित्तीय भार डाल दिया जाता है, निश्पक्ष माना जाता है तो प्रथमत: तो सेवानिवृत्त किया ही क्यों जाता है। क्योंकि देश में जजों की कमी को देखते हुए उन्हें पुर्नियुक्ति देकर काम लिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ काम लेना-देना अनुगृहीत होने के स्थान पर कर्ज चुकाने के लिये अनुगृहीत करने, जी हुजूरी करने, श्वेत-श्याम के अंतर को मिटा देने का माद्दा रखने, कामलायकों के काम आने, सत्तासीनों के इशारों पर नाचने, धनार्जन, लालबत्ती, अधिकारपूर्णता, थोथे सम्मान के आकर्षण में फंसे रहने, परमार्थ से स्वार्थ को वरीयता देने, पद के सम्मान को त्याग कर बिना सम्मान के ही और पद प्राप्ति की आकांक्षा पाले रखने, संभ्रांत समाज में विचरण करते रहने की भूख के शांत नहीं होने, स्वाभिमान से जीने के स्थान पर झूठे सम्मान व राष्ट्र सेवा, अनुभव के लाभ के फायदे, क्या करें, सरकार मानती ही नहीं के जुमले, विशिष्ठ काम के लिये ज्ञानी, परिपूर्ण व वस्तुनिष्ठ व्यक्तियों के अभाव सेवानिवृत्ति के बाद सब सामान्य होते हैं जैसे तर्क गढ़ते हैं वे जानबूझकर मुकालता पाले रहते हैं कि समाज उन्हें अभी भी सम्मान देता है। ऐसे जजों को नमस्कार करना सम्मान का नहीं बस रिगार्ड का सूचक ही होता है। स्पष्ट सम्मान दिल से और रिगार्ड किसी के पद के कारण मजबूरी में किया जाता है। सभी ऐसे जज जीवन के इस यथार्थ को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन लोभ, लालच, तृष्णा, राग-द्वेष के कारण जान-बूझकर अनजान होने का सार्वजनिक प्रदर्शन करते रहते हैं।

प्रत्येक जज भी मानव ही होता है, इसी धरती पर जन्म लिया होता है, इसी अच्छे या बुरे समाज व वातावरण में रहता है, वह भी परिस्थितियों का दास है कुछ कम या अधिक गुण-अवगुण उसमें भी होते हैं। कुछ प्रतिशत जज तो झूठ को सही और सही को गलत करते-करते याने वकील से इस पद पर साम, दाम, दंड, भेद की नीति पर चलते हुए ही पहुंचते हैं। जज बनने में जान पहचान, चक्कर, मक्कर, मैनेज करने की विशेषज्ञता, लक्ष्मी की कृपा, पद गृहण के पूर्व कुछ विशेष लोगों के सामने ली जाने वाली शपथ, माल पर माल बनाने वालों की नजरों में नापी-परखी योग्यता, स्वाभिमान से समझौता कर लेने की मानसिकता, वर्णित नहीं किये जा सकने वाले कारणों से प्रभावशाली वरिष्ठ जजों से बढ़ी करीबी रिश्तें, कई प्रकार की परोसगारी की अतुलनीय क्षमता की भी भूमिका होती है। ऐसे व्यक्तियों के जज बन जाने पर भी उनकी मानसिकता में आधारभूत परिवर्तन की संभावना न्यून ही रहती है। फिर भी उनकी मानसिकता में आधारभूत परिवर्तन की संभावना न्यून ही रहती है। फिर भी उन्हें तकनिकी रूप से अलग किस्म का इंसान मानने की जो मजबूरी बनी हुई है उसे सही कैसे मानते रहा जा सकता है?

ऐसे जज जब सेवानिवृत्त होते हैं तो पुन: वकील जैसे रोल में आने का प्रयास कर सकते हैं। यह निष्कर्ष इसलिए भी सत्य के करीब है कि आजकल ऐसे ही महा मानव माने जाने वाले जजों पर यौन शोषण, मानवाधिकारों के उल्लंघन, भ्रष्ट आचरण, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, लेटलतीफी, कामचोरी, समय की पाबंदी की अनुपस्थिति, केस की अधूरी जानकारी पर आधारित निर्णय, कोड ऑफ कन्डक्ट के उल्लंघन, प्रचार की भूख, अपराधियों के साथ साझा मंच, सीमा से अधिक सामाजिकता, कानून के उल्लंघन वाले समारोहों में शिरकत जैसे आरोप आम आदमी की तरह ही लगने लगे हैं। ऐसे जजों का मुख्य उद्देश्य भी सेवानिवृत्ति के बाद कुछ जुगाड़ करने का ही होता है। ऐसे ही लोग इसमें सफल भी रहते हैं। वैसे भी अति परिवर्तन इस समय में 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जो शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही रूपों से कमजोर हो जाता है से खुले दिल व दिमाग, वस्तुनिष्ठता, स्वाभाविक आचरण, आमजन की तरफदारी, गुलामी की मानसिकता से दूरी, सब कुछ चलता है की मनोवृत्ति, कड़े परिश्रम, त्वरित निर्णय, निडरता से स्वीकारोक्ति की आशा कम ही की जा सकती है। तब ही तो जांच समिति, आयोग, पंचाट आदि की समयावधि बार-बार बढ़ाने, उनके द्वारा अधिक सुविधाओं की मांग करने, रिपोर्ट सरकार द्वारा कूड़ेदान में डाल दिये जाने पर भी दूसरा ऐसा ही एसाइनमेंट स्वीकार कर लेने, ऐसे जजों पर सरकारी दबाव डाले जाने, संबंधित पक्षकारों द्वारा धरने प्रदर्शन कर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन करने की खबरें समाचार माध्यमों में आती ही रहती हैं। ऐसे जज अपने सेवाकाल में ऐसा कुछ करने का भरपूर प्रयास करते हैं जिससे उनका भविष्य सुरक्षित बल्कि ठोस हो जाये। जजों को नैतिक रूप से भी यह समझना चाहिए कि सेवानिवृत्ति के बाद वे किसी पद को किसी दूसरे के वाजिब अधिकार पर आघात करके ही हड़पते हैं तथा उन्हें ऐसे मंत्रियों, राजनीतिकों व जनप्रतिनिधियों के सामने झुकना पड़ता है जिन्हें किसी समय उन्होंने सजा सुनाई है व कोर्ट में फटकार लगाई है। भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार तो समाज में भूमाफिया, शराब के पेशेवर ठेकेदार, आदतन अपराधी, क्षेत्र विशेष में अपना स्वयं का कानून चलाने वाले, धन व भुज बल के सहारे चुनावों में विजयी, पाखंडी धर्मगुरु, दंगे भड़काने के आरोपी भी केन्द्र व राज्य में मंत्री बन सकते हैं। सेटिंग मास्टर सेवानिवृत्त जज को इन सबसे हाथ जोड़ कर व मिला कर लो प्रोफाइल में रहना पड़ता है। जिससे जनता में न्यायपालिका छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आमजन में विश्वास में गिरावट आती है फिर भी उनके वैभव, रुतबे व विलासितापूर्ण जीवन को देख कर आम जन अपने जजबातों पर काबू पाने, हर किसी से हाथ मिला लेने, उपकृत करने व होने, 'पानी से पहले पाल बांधने', बड़े लोगों से सम्पर्क बढ़ाने, गैर न्यायिक क्षेत्र में खास बनने, परमार्थ व कर्त्तव्य की पालना से पहले स्वार्थ की सोचने जैसी बातें ही सोचने लगता है।

अब तो दुर्भाग्य से जज सेवानिवृत्ति के बाद झूठ, फरेब, रोषारोपण, धोखा, आश्वासनों के आडम्बर, व्यक्ति पूजा, अनैतिक आचरण, मुंह में राम, बगल में छुरी, भ्रष्टाचार तेरा सहारा वाली राजनीति में बेधड़क आने लगे हैं। जहां किसी समय के मी लॉर्ड को हर एक के सामने मिमयाना पड़ता है, तर्क आधारित बात सुनने के आदी को कुतर्कों, झूठ, गरिमाहीन, आडम्बरी नेताओं की हर बात पर वाहवाह करनी पड़ती है, काले को पूर्णत: श्वेत सिद्ध करने की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, चुनाव के समय ऊंचे फरेबी की भूमिका निभानी पड़ती है, टिकिट लेने के लिये या कुछ बनने के लिए मंत्रियों व नेताओं के दरबार में बिना बात हाजरी लगानी पड़ती है। इससे सम्पूर्ण न्यायपालिका की छवि तो बिगड़ती ही है। व्यवहार में हम देखते हैं कि जो रिटायर्ड जज किसी नियामक आयोग का सदस्य बनता है वह जज सुनवाई के समय सुनता हर पक्ष की है लेकिन अंतिम निर्णय सरकारी इशारे के अनुसार ही करता है, कम्पनियों के हितों को वास्तविकता की अवहेलना कर संरक्षण देता है, जनता के वाजिब हितों को कुचलता है, कुछ भी रेगुलेट न कर स्वयं रेगुलर रेगुलेट रहने को तैयार रहता है। ऐसी ही स्थिति सेना, अखिल भारतीय प्रशासनिक, विदेश, इकोनॉमिक सेवाओं आदि की भी है। सेवानिवृत्ति के पास वे ही अधिकारी पुनर्नियुक्त व मनोनयन पाते हैं जो सेवाकाल में किसी राजनेता/नेताओं/विचारधारा विशेष के दल आदि से घनिष्ठ व निष्ठा रखते हैं, उनके इशारों पर नाचते हैं, उनके हर अच्छे-बुरे कामों का प्रत्यक्ष व परोक्ष दायित्व लेते हैं, उनकी चाहत के अनुसार नियमों का विश्लेषण कर निर्णय कर देते हैं, फाइल पर उनके हस्ताक्षरों के बिना ही उनके आदेश की पालना कर एवं करवा लेते हैं, फलदायी व्यक्ति के पक्ष में उनके कहने पर प्रोजक्ट स्वीकृत कर देते हैं। तब ही तो वे कभी बर्फ में लग जाते हैं और कभी लाइम लाइट में आ जाते हैं तथा सेवानिवृत्ति के बाद लहर आने पर उपकृत होते रहते हैं। सरकारें भी अधिनस्थ सेवा आयोग, सूचना आयोग, विद्युत नियामक आयोग जैसी जगहों पर इन्हें फिट करती रहती है। तब ही तो विद्युत नियामक आयोग कभी भी विद्युत कंपनियों की फिजूलखर्ची, विद्युत चोरी, अत्यधिक छोजत, कर्मचारी-अधिकारियों के भ्रष्टाचार, उनकी अक्षमता, अकर्मण्यता, दोषपूर्ण लेखांकन एवं अंकेक्षण, दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, हजारों करोड़ के ऋणों पर ब्याज के भार आदि के लिये कभी भी लागत वृद्धि को कारण नहीं मान कर कम्पनियों के इशारे व सरकार की सहमति से दरों में वृद्धि व दिनांक तय कर देते हैं। उन्हें अपने दायित्व, पद की मांग, जनता की तकलीफों आदि की चिन्ता बिलकुल भी नहीं रहती है। वे स्वाभिमान, संवेदना, जनता के प्रति समर्पण, सही तर्कपूर्ण, पद की गरिमा एवं मांग, निश्पक्षता, स्पष्टवादिता जैसे शब्दों के महत्व को अपने कैरियर के लिये जीवन से ही निकाल देते हैं। दूसरा उदाहरण सूचना आयोग जिसमें सब कुछ निश्पक्ष और निडर होकर करना पहली बात मानी जाती है में उन पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों को लगाया जाता है जो जिंदगी भर ऐसी अपेक्षा के विपरीत आचरण करते रहे हैं। एक उदाहरण राजस्थान फीस कमेटी का लिया जा सकता है जिसमें करीब 35 हजार स्कूलों की फीस का निर्धारण करने के लिये वर्षों पहले सेवानिवृतत जज कम कविराज को लगाया गया है। जिस कारण से अधिकांश स्कूलों की फीस लम्बे समय के बाद भी अंतिम रूप से निर्धारित नहीं हो सकने के कारण स्कूल संचालक, अभिभावक, विद्यार्थी, सरकारी अधिकारी आदि सभी गफलत व अनिर्णय की स्थिति में बने हुए हैं। वे इस उम्र में छोटे-बड़े, सच्चे-झूठे, पहुंचे हुए, सामान्य, खिलाड़ी-खेल के प्रशिक्षणार्थी, लक्ष्मीपति, सरस्वती पुत्र ब्रांड संचालकों से निबटने व उन्हें निबटाने की शारीरिक, मानसिक व प्रशासनिक क्षमता नहीं रखते हैं। उनसे फिर भी काम लेना कई दृष्टियों से न्याय नहीं है। ऐसा अन्याय सरकार अपने स्वार्थ के लिए अनेक लोगों पर कर रही है।

निष्कर्ष यह ही है कि विशेषत: न्यायिक अधिकारियों व सामान्यत: सभी क्षेत्रों के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को कोई भी सरकारी पद सेवानिवृत्ति के बाद दिये जाने के प्रतिबंध संबंधी कानूनी प्रावधान किया जाना चाहिए। जिससे ऊपर वर्णित सभी आशंकित कमियों को दूर कर नये जमाने में नई सोच वाले युवाओं का देश व समाज हित में उपयोग किया जा सके।

आयोग देखेगा वाड्रा मामला

जमीन सौदे पर राज्य सरकार के जवाब को सीईओ ने आयोग को भेजा

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन विवाद को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) और मुख्य सचिव को इस बात की जांच करने को कहा है कि क्या भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सरकार ने जमीन सौदे में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि आचार संहिता लागू होने से लगभग दो महीने पहले ही जमीन का म्यूटेशन (दाखिल खारिज) हो चुका था। पार्टी ने प्रधानमंत्री पर गलतबयानी का आरोप भी लगाया है। इस बीच हरियाणा सरकार ने आयोग को अपना जवाब भेज दिया है। इसमें बताया गया है कि वाड्रा-डीएलएफ सौदे को मंजूरी 16 जुलाई, 2014 को प्रदान की गई। 12 सितम्बर से राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्य के सीईओ श्रीकांत वालगद के अनुसार- मुख्य सचिव की रिपोर्ट हमने रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी है। रिपोर्ट गोपनीय दस्तावेज है। उस पर कोई जानकारी नहीं दे सकता हूं।

इससे पूर्व केन्द्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव को इस मामले की तुरन्त जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था। इन्हें चौबीस घंटे के अंदर ही यह बताने को कहा गया था कि क्या इस मामले में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। आयोग का कहना था कि वह राज्य से रिपोर्ट मिलने के तुरन्त बाद इस मामले में कार्रवाई पर विचार करेगा। अब चूंकि हरियाणा से रिपोर्ट आ गई है, इसलिए देखना है कि आयोग क्या कदम उठा रहा है। राज्य में 12 सितम्बर को चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। आयोग का कहना है कि अगर यह मंजूरी उससे पहले की होगी तो वह इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा में एक रैली के दौरान आरोप लगाया था कि हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने अपनी सत्ता जाती देख वाड्रा और डीएलएफ के विवादास्पद सौदे को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को पता है कि सरकार जाने वाली है ऐसे में ऊपर से डंडा चला है कि दामाद जी का काम कर दिया जाए। मोदी ने चुनाव आयोग से भी इस मामले का संज्ञान लेने के लिए कहा था। ध्यान रहे कि इससे पहले यह आरोप लगते रहे थे कि वाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा में जमीन का बड़ा हिस्सा बहुत ही कम कीमत पर दे दिया था और बाद में उसकी लैंड यूज पॉलिसी बदल दी गई थी। कुछ ही महीनों में वाड्रा की संपत्ति करोड़ों रुपये की हो गई थी। हरियाणा के तत्कालीन अधिकारी अशोक खेमका ने ही यह आरोप लगाया था।

उधर, मोदी के हमले से तिलमिलाई कांग्रेस ने पलटवार करते हुए उन पर गलतबयानी का आरोप लगा दिया है। पार्टी प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अहमद ने इस मुद्दे पर पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी को इस मामले से इतना अंजान नहीं होना चाहिए। मोदी ने इस मामले पर गलत बयानी कर न सिर्फ हरियाणा की जनता बल्कि चुनाव आयोग को भी बरगलाने की कोशिश की है।

'मुख्यमंत्री मनमर्जी से बिना नीति-रीति भूमि आवंटन नहीं कर सकते'

नई दिल्ली। सन् 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने नई मुम्बई में एक जायदाद व्यवसायी को, एक दूसरे से जुड़े तीन भूखण्ड आवंटित किये थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अपनी ''मनमर्जी'' से सरकारी संपत्ति नहीं बेच सकते।

जस्टिस एम.वाई. एकबाल तथा पी.सी. घोष की पीठ ने मुम्बई हाई कोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले ने व्यापारी को उक्त भूखण्डों का स्वामित्व दे दिया था, जबकि महाराष्ट्र सरकार के सिटी एंड इंडस्ट्रियल डवलेपमेंट कॉर्पोरेशन (सीआई.डी.सी.ओ.) ने जांच करने के बाद व्यापारी के स्वामित्व को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए जो आवंटन किये गये उसमें प्रथम दृष्टया ''कोई पारदर्शिता'' कायम नहीं रखी गई।

यह कहते हुए, कि बिना बोली के आवंटन करना अनुचित था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का कोई भी कृत्य ''लोस, पारदर्शी और सुपरिभाषित नीति पर आधारित होना चाहिए'' न कि मनमाने तरीके से। इसने सुस्थापित सिद्धान्त का उल्लेख किया कि जब भी सरकार एक अनुबंध के लिये लोक संस्थापन के साथ व्यवहार करती है, वह ''अपनी मर्जी से मनमाते तरीके से काम नहीं कर सकती तथा सरकार के कृत्य में मनमानी का पुट नहीं होना चाहिए।'' हाईकोर्ट ने 2009 में व्यापारी निलेश गाला के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि जन सुविधा के उद्देश्य से रखी गई भूमि बिना बोलियों के आवंटित की जा सकती है और सीआईडीसीओ को भूखंड वापस सौंपने का निर्देश दिया था, इस पर भी पीठ ने अप्रसन्नता जताई। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट यह तथ्य ''देखना भूल गया'' कि एक ही व्यक्ति के तीन निजी आवेदनों पर विचार कर तीन अलग-अलग मूल्यवान भूखंड ''विभिन्न नामों'' से आवंटित किये गए। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीआईडीसीओ की अपील को स्वीकार कर लिया।

सीआईडीसीओ ने निलेश गाला की कंपनियों, पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट और प्लैटिनम एंटरटेटमेंट तथा प्लैटिमन स्कवायर ट्रस्ट को तीन भूखंड, इस व्यापारी द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे को सीधे आवेदन करने के बाद जून 2004 में आवंटित किये थे। अक्टूबर में चुनाव के बाद नए मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख ने इन विवादास्पद आवंटनों की जांच करने के आदेश देने के बाद, कि यह प्लॉट बिना उपयुक्त निविदाएं आमंत्रित किये दे दिये गये थे, सी आई डी सी ओ ने अगस्त 2005 में यह आवंटन रद्द कर दिये।

सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले में, जिसे जस्टिस एकबाल ने लिखा, कोर्ट ने पाया कि प्लैटिनम एंटरटेनमेंट एवं पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट नामक दो विभिन्न कंपनियों के स्वामी के रूप में गाला को ''तत्कालीन मुख्यमंत्री को एक निजी आवेदन'' करने के बाद दो मूल्यवान भूखंड मल्टी प्लैक्स, ऑडिटोरियम और मनोरंजन केन्द्र तथा एक मल्टी प्लैक्स थियेटर बनाने के लिये मिले थे। कोर्ट ने इंगित किया कि यह मामले का अंत नहीं है।

इसी व्यापारी ने एक ट्रस्ट, मै. प्लैटिनम स्क्वायर ट्रस्ट के नाम से बनाया तथा एक कंट्री क्लब स्थापित करने के लिये एक और प्लॉट के आवंटन के लिये आवेदन प्रस्तुत कर दिया।

चीन में 20 हजार जोड़ें को दूसरे बच्चे की मिली अनुमति

बीजिंग। चीन में परिवार नियोजन की नीति में छूट के बाद राजधानी बीजिंग में गत 21 फरवरी से अब तक करीब 20 हजार जोड़ों को दूसरे बच्चे की अनुमति मिली है।

बीजिंग म्युनिसिपल कमीशन के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 21,249 जोड़ों ने आवेदन किया था जिसमें से 19363 को इजाजत दी गई है। जिन लोगों को अनुमति मिली है, उनमें से लगभग 56 फीसदी महिलाओं की उम्र 31-35 वर्ष के बीच है। चीन की दशकों पुरानी एक बच्चा नीति में साल 2013 के आखिर में ढील दी गई। इस बदलाव के बाद चीन के ज्यादातर प्रांतों ने कुछ शर्तों के साथ जोड़ों को दूसरे बच्चे को जन्म देने की अनुमति दी गई है। यह ढील चीन में श्रम शक्ति में जारी गिरावट और बूढी हो रही आबादी से मुकाबले के लिए दी गई है।

एक बच्चा नीति का प्रभाव

- 1979 में एक बच्चा नीति लागू की गई।
- अंधाधुंध जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने का मकसद।
- शहरी दंपत्तियों को एक और ग्रामीणों को दो बच्चे की अनुमति थी।
- नीति क्रियान्वयन में मानवाधिकारों के हनन के आरोप लगे।
- कुछ विशेषज्ञों ने सामाजिक ताने-बाने पर नकारात्मक प्रभाव की बात कही।
- श्रम शक्ति में गिरावट और बूढ़ी हो रही आबादी।
- चीन में करीब 10 फीसद आबादी 65 वर्ष या अधिक उम्र की।
- नवम्बर, 2013 में नीति में दी गई ढील
- संशोधन में अपने माता-पिता की इकलौती संतान होने पर उनको दो बच्चे पैदा करने की इजाजत।

दागी नेताओं के खिलाफ तेजी से निपटाएं केस

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करने को कहा है। केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने सभी मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को इस सिलसिले में अलग-अलग पत्र लिखा है। इससे पहले केन्द्रीय कानून मंत्रालय ने सभी हाईकोर्ट से भी दागी नेताओं के खिलाफ मुकदमों में तेजी लाने का अनुरोध किया था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लेख करते हुए पत्र में दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ उन मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने को कहा गया है, जिनमें दोषी पाए जाने पर सदस्यता रद्द होने का प्रावधान है। इसके लिए राज्य सरकारों को फास्ट ट्रैक अदालतों में प्रतिदिन की सुनवाई सुनिश्चित करने, विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करने और मुकदमों की नियमित निगरानी करने को कहा गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल दस मार्च को जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एक साल के भीतर सुनवाई पूरी कर लेने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी 24 जुलाई को गृह मंत्री और कानून मंत्री को ऐसी व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत सांसदों और विधायकों के खिलाफ मुकदमों का निपटारा एक साल के भीतर किया जा सके। जनप्रतिनिधियों को दो साल या इससे अधिक जेल की सजा होने पर संसद या विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया जाता है।

सुनन्दा पुष्कर प्रकरण

क्या पुलिस नहीं चाहती मौत के रहस्य से उठे पर्दा ?

पहले दिन से ही बेहद गोपनीय तरीके से जांच कर रही है पुलिस

नई दिल्ली। पूर्व केन्द्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनन्दा पुष्कर की मौत लीला होटल के कमरे में कैसे हुई। इस रहस्य से दिल्ली पुलिस पर्दा उठाना नहीं चाह रही है। हाई प्रोफाइल मामलों में यह पहला मामला है जिसे पुलिस पहले दिन से ही बेहद गोपनीय रख रही है।

सुनन्दा पुष्कर की मौत से सम्बन्धित सभी जांच रिपोर्ट पुलिस द्वारा न सौंपने के कारण ही पोस्टमार्टम करने वाले एम्स के फोरेंसिक विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सुधीर गुप्ता, सीनियर रेजिडेंट डॉ. अशोक कुमार की तीन सदस्यीय टीम ने भी 30 सितम्बर को दक्षिण जिला पुलिस को अधूरी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में यह तो साफ कर दिया गया कि सुनन्दा की मौत जहर से ही हुई। जहर कौनसा था, इस बारे में मेडिकल बोर्ड ने अपना विचार सुरक्षित रख लिया है और पुलिस ने 13 विषयों पर जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जांच अधिकारी द्वारा सुनन्दा की मौत से सम्बन्धित कागजात व एफएसएल द्वारा पुलिस को सौंपी गई विसरा रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों ने अंतिम रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक विसरा में इथाइल एल्कोहल, कैफीन, एसिटामिनोफेन व कोटिनीन की मात्रा पाई गई है, जो मौत का कारण बनी। शरीर पर मिले जख्मों के बारे में मेडिकल बोर्ड पहले ही पुलिस को बता चुका है। फिर भी जख्म कैसे हुए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य व सम्बन्धित लोगों के बयान पुलिस ने अभी तक नहीं सौंपे हैं। इसलिए अंतिम रिपोर्ट नहीं बन सकी। जिस तरह से पुलिस जांच संबंधी दस्तावेजों को गोपनीय रख रही है और मेडिकल बोर्ड ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया है, इससे माना जा रहा है कि सुनन्दा की हत्या की गई है। दक्षिणी रेंज के संयुक्त आयुक्त विवेक गोगिया खुद जांच का नेतृत्व कर रहे थे। जांच टीम में उन्होंने सरोजनीनगर के तत्कालीन एसीपी सुरेन्द्र शर्मा को शामिल किया था। सुरेन्द्र शर्मा हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। कहा जा रहा है कि किसी न किसी दबाव के कारण ही गोगिया खुद मामले की जांच कर रहे थे। जांच टीम में दक्षिण जिला के तत्कालीन डीसीपी बी.एस. जायसवाल, एडिशनल डीसीपी प्रमोद कुशवाहा और सरोजनी नगर के पूर्व थानाध्यक्ष अतुल सूद को भी रखा गया था, लेकिन उन्हें सभी जानकारी नहीं दी जाती थी।

केस 23 जनवरी को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था। क्राइम ब्रांच ने जब मुकदमा दर्ज करने की बात कही, तो गोगिया ने केस देने से मना कर दिया था। अंतिम रिपोर्ट बनाने के लिए डीसीपी बी.एस. जायसवाल जांच से सम्बन्धित दस्तावेज डॉ. सुधीर गुप्ता को सौंपने के लिए तैयार थे, लेकिन गोगिया रिपोर्ट देने के लिए राजी नहीं हुए।

'जांच पूरी होने पर ही सुनंदा की मौत के बारे में बोलूंगा'

पूर्व केन्द्रीय मंत्री शशि थरूर ने पत्नी सुनन्दा पुष्कर की मौत पर चुप्पी तोड़ी है। थरूर ने कहा कि वह मामले की जांच में हमेशा पुलिस को सहयोग करते रहे हैं और उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद इस बारे में कुछ बोलेंगे। थरूर की यह टिप्पणी सुनंदा की अटॉप्सी करने वाले तीन डॉक्टरों के पैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि सुनन्दा की मौत जहर के कारण हुई है।

प्रश्न जो अनुत्तरित हैं

मेडिकल बोर्ड ने दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी से कहा है कि अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए इन 13 सवालों के जवाब उपलब्ध कराना जरूरी है।

1. होटल के कमरे के क्राइम सीन से सम्बन्धित फोटोग्राफ।
2. सम्बन्धित लोगों के बयान व परिस्थितिजन्य साक्ष्य।
3. जिस वक्त सुनन्दा का शव मिला था। होटल के कमरे में कौन-कौन सी दवाईयां रखी थीं। ये दवाईयां किस डॉक्टर ने लिखी थीं।
4. नींद की दवा एल्प्रेक्स सुनन्दा को किस डॉक्टर ने लिखी।
5. कमरे से एल्प्रेक्स की 15-15 गोलियों वाले दो पत्ते मिले थे, लेकिन विसरा रिपोर्ट में नींद की गोलियां खाने की पुष्टि नहीं हुई है।
6. सुनन्दा ने गुलाबी रंग का टॉप पहना था, जो गीला था। उस पर सफेद रंग के छह धब्बे थे और एम एंड एस कंपनी के गीले लोअर पर एसिटामिनोफेन कैफीन, लिकोडेन व मिथाइल पाराबेन केमिकल मिले। इसकी जांच की जानी चाहिए।
7. सुनन्दा के नजदीकी से पूछताछ की जानी चाहिए कि उन्हें एल्प्रेक्स किस डॉक्टर ने लिखी थी।
8. सुनन्दा की मौत के बाद होटल के किस डॉक्टर ने उनका परीक्षण किया।
9. होटल के डॉक्टर व अटेंडेंट ने क्या बयान दिए।
10. घटना के समय सुनन्दा के शरीर से किस तरह की गंध आ रही थी। उनकी बांई आंख कैसे खुली थी। उस पर जख्म का निशान कैसे था।
11. 26 जनवरी को नोएडा के डॉक्टर राजीव भसीन ने शशि थरूर को एक ई-मेल भेजा था। यह ई-मेल शशि थरूर ने एम्स को भेज दिया था। ई-मेल क्या थी।
12. 12 फरवरी को भी कॉपर हेल्थ क्लीनिक, दुबई के डॉक्टर अनिल गुप्ता ने शशि को ई-मेल भेजा था। उसे भी उन्होंने एम्स को भेज दिया था। इसकी भी जांच की जाए।
13. जिस बेड पर शव मिला था, उसके गद्दे की जांच में क्या निकला।

मेडिकल बोर्ड ने क्या कहा

- सुनन्दा को हॉर्ट सम्बन्धी कोई बीमारी नहीं थी। उनके हार्ट की स्थिति ठीक थी।
- वह उच्च रक्तचाप से पीड़ित नहीं थी।
- वह मधुमेह की बीमारी से भी पीड़ित नहीं थी।
- सुनन्दा को क्षय रोग नहीं था।
- सुनन्दा को दिमागी, फेफड़े, लीवर व किडनी से सम्बन्धित कोई बीमारी नहीं थी।
- विस्तृत जांच करने पर ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिशु डिसऑर्डर भी सामान्य पाया गया। यानि सुनन्दा को ऐसी बीमारी नहीं थी जिससे उनकी स्वाभाविक मौत हुई हो।

पति भी मांग सकता है गुजारा भत्ता : कोर्ट

नई दिल्ली। गुजारा भत्ता कानून के प्रावधान पति व पत्नी दोनों पर लागू होते हैं। इसका अर्थ यह है कि पति भी तलाक के समय पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है, अगर यह साबित हो जाए कि उसके पास पर्याप्त आय व संपत्ति नहीं है। यह टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जे.आर. मिढ़ा की खंडपीठ ने तलाक व गुजारा भत्ता संबंधी 9 याचिकाओं का निपटारा करते हुए की है। इन याचिकाओं में पति ने तलाक मांगा था और पत्नी से गुजारा भत्ता। जो नौ मामले निपटाए गए हैं, उनमें से एक मामला वर्ष 1996 से लम्बित था।

खंडपीठ ने कहा है कि जब कोई पति या पत्नी तलाक के लिए अर्जी दायर करे और उसे गुजारा भत्ता भी चाहिए तो उसे एक हलफनामा दायर करके अपनी आय व संपत्ति और खर्चों का विवरण भी देना होगा। निचली अदालतों द्वारा इस संबंध में याचिकाकर्ता पक्षों को शुरू में ही निर्देश जारी किए जाएं। जिससे कि अदालत का भी समय बचे और मामलों का निपटारा जल्द हो सके। खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का सही ढंग से पालन किया जाए।

गुजारा भत्ता संबंधी मामलों का छह माह के भीतर हो निपटारा : दिल्ली हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता संबंधी मामलों के निपटारे में होने वाली अनावश्यक देरी पर चिंता व्यक्त की है।

न्यायमूर्ति जे.आर. मिढ़ा की खंडपीठ ने दिल्ली की जिला अदालतों को निर्देश जारी किया है कि वह गुजारा भत्ता संबंधी मामलों का निपटारा निश्चित छह माह की अवधि के भीतर ही कर दें। खंडपीठ ने कहा कि निचली अदालतें इस तरह के मामलों में कोई स्टैंडर्ड यूनिफार्म व प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है। अधिकांश मामलों में हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत दिए जाने वाले अंतरिम गुजारा भत्ता के प्रावधानों का प्रयोग ही नहीं किया जाता है।

एनसीए की क्षेत्रीय अदालतें खोलने के लिए केन्द्र को 6 माह का समय : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। देश के सुदूर क्षेत्र के लोगों को सुलभ न्याय दिलाने के वास्ते राष्ट्रीय अपीलीय अदालत (एनसीए) की पीठों के गठन का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है और इससे संबंधित एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने (गेंद) अब केन्द्र सरकार के पाले में डाल दी है।

शीर्ष अदालत ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशों के खिलाफ अपील के लिए सुदूर दक्षिण, पूरब और पश्चिम के प्रमुख शहरों में एनसीए की क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने के मुद्दे पर फैसले के लिए केन्द्र को छह माह का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के जरिये केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करके राष्ट्रीय अपीलीय अदालत की क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने से सम्बन्धित एक याचिकाकर्ता के अनुरोध पर कानून के दायरे में छह माह के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है।

पुडुचेरी के एक वकील वी. बसंत कुमार ने एक याचिका दायर करके न्यायालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। कुमार की दलील है कि देश के कई सुदूर हिस्सों से उच्चतम न्यायालय की दूरी इतनी है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशों के खिलाफ अधिकतर लोग चाहकर भी अपील नहीं कर पाते हैं और उन्हें न्याय सर्वसुलभ नहीं हो पाता है।

शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए होने वाली यात्रा के अलावा यहां प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की महंगी फीस भी न्याय हासिल करने के रास्ते में रोड़ा पैदा करती है। याचिकाकर्ता ने एनसीए के गठन का मुद्दा पहले केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया था लेकिन वहां से कोई सकारात्मक जवाब न मिलने के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति दत्तू ने कहा कि एनसीए के गठन को लेकर सकारात्मक और महत्वपूर्ण मुद्दा न्यायालय के समक्ष आया है जिस पर वह विचार कर रहे हैं और इस बारे में केन्द्र सरकार से छह माह में फैसला करने को कहा गया है।

विधि आयोग ने भी अपनी 125वीं रिपोर्ट में कहा था कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है और तमिलनाडु, गुजरात, असम अथवा मेघालय के वादियों और प्रतिवादियों को उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील करने के लिए यात्रा व्यय पर बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। इतना ही नहीं ऐसा रिवाज रहा है कि जो वकील उच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ता है उसे भी आमतौर पर साथ रखा जाता है। ऐसी स्थिति में खर्च और भी अधिक बढ़ जाता है।

गाँधी दर्शन प्रणीत संस्थान शुद्धिकरण मंच, जयपुर

गांधी दर्शन प्रणीत संस्थानों से सम्बन्धित कार्यरत वैचारिक महानुभावों के ध्यान आकर्षण एवं क्रियान्वयन हेतु दिये जा रहे 'शुद्धिकरण' हेतु सुझावों की श्रृंखला में-

न्यायिक ज्वाला के गत दिनांक 10 अक्टूबर 2014 के अंक में श्री बालविजय भाई राष्ट्रीय संयोजक 'स्वादी मिशन' गोपुरी-वर्धा (महाराष्ट्र) को दिये गये दिनांक 29.09.2014 का विस्तृत पत्र प्रकाशित हुआ है। वह ई-मेल से अनेक शीर्षस्थों को भी भेजा गया था। उस पत्र के निम्न दो प्रमुख विचार सुझाव के रूप में उपरोक्त सभी सम्बन्धितों योग्यार्थ इस अंक में प्रकाशित किये जा रहे हैं।

1. गांधी जी के वैचारिक उत्तराधिकारी माने गये संत विनोबा भावे को अपने जीवन काल में 33 वर्ष पूर्व ही यह आभास हो गया था कि राष्ट्र में सरकारी मदद के बल पर जो स्वादी संस्थाएं चल रही हैं वे कालान्तर में यथावत चलने वाली नहीं हैं इसलिए उन्हें अ-सरकारी बनाकर असरकारी (प्रभावी) बनाने की जरूरत है। इसी वैचारिक सूत्र को लेकर उन्हीं की प्रेरणा से देश में श्री बालविजय भाई जी के संयोजकत्व और नेतृत्व में 'स्वादी मिशन' का उदय हुआ था किन्तु श्री बालविजय भाई के सतत एकांगी प्रयासों तथा अनेक स्वादी सेवकों (?) दोहरी मानसिकताओं के आन्तरिक टकराव से वांछित लक्ष्य का क्रियात्मक रूप आज तक प्रगट नहीं हुआ और यदि ऐसा ही चलता रहा तो इसकी कल्पना करना भी शायद भूल रहेगी। सुझाव है कि सम्बन्धित जन या तो विचार की पालना में ईमानदारी से खड़े होकर अ-सरकारी-असरकारी बनकर अपनी संस्थाओं को प्रभावी गति प्रदान करें या यह संभव नहीं लगता तो अपनी दोहरी नीति छोड़कर मात्र सरकार के आश्रित बने रहने का अपना स्पष्ट मन्तव्य जाहिर करे। मेरी अपनी दृष्टि में विचार का क्रियान्वयन किया जा सकता है, करना ही चाहिए।
2. आज समूचे स्वादी क्षेत्र में निरंतर अनाचार बढ़ते जा रहे हैं। किन्हीं अपवादों को छोड़ दें तो सपात्र स्वादी क्षेत्र विचार और सिद्धान्तहीन ही नहीं, आर्थिक बिन्दुओं पर आकंठ डूबता जा रहा है। आये दिन ऐसे अनाचरण प्रगट भी होते जा रहे हैं। परन्तु क्षेत्र के सभी पात्र-अपात्र एक दृष्टि से जो माने जा रहे हैं उसे सख्ती के साथ छांटने की महति आवश्यकता है। 'स्वादी मिशन' को सर्वप्रथम इस कार्य को गंभीरता से लेने की जरूरत है। साथ ही जो व्यक्ति और संस्थान आज भी अपने-आपको अपवादी 'पात्र' मानते हों वे संगठित होकर क्षेत्र से 'अपात्रों' की छंटनी कर उन्हें क्षेत्र से विलग कर कानून के हवाले करने में आगे आयें। अन्यथा आज की स्थिति में अपवादी वर्ग भी कलंकित होता रहेगा इसमें संदेह नहीं है।

प्रस्तोता
रामदयाल खंडेलवाल
संयोजक एवं संस्थानिक प्रतिनिधि
न्यायिक ज्वाला

न्यायाधीशों के लिए प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा

नई दिल्ली। अदालतों में वाणिज्यिक विवाद और साइबर अपराध से जुड़े कई तरह के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश जल्दी ही बैठक कर साइबर कानून और बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में अपने ज्ञान को और प्रखर व तरोताजा करेंगे। भोपाल स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी इस साल के अंत में 24 हाईकोर्टों के जजों के लिए कानून और प्रौद्योगिकी पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन करेगी। इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार एवं साइबर कानून से जुड़े मुद्दे भी शामिल होंगे।

अकादमी ने प्रस्तावित सम्मेलन के संदर्भ में बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों और साइबर कानूनों जैसे उभरते क्षेत्रों में जजों के ज्ञान को बढ़ाना है। इस सम्मेलन में देश के सभी हाई कोर्ट के जज शामिल होंगे। शामिल होने वाले जज का चयन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। कानून मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन अब जरूरी हो गया है। हाई कोर्ट में अब इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के सम्मेलनों और चर्चाओं से न्यायाधीशों को आपस में ऐसे मामलों में एक-दूसरे के विचार जानने का मौका भी मिलेगा।

अकादमी अगले साल की शुरुआत में इसी तरह का सम्मेलन जिला स्तर के जजों के लिए भी करने की योजना बना रही है। इस सम्मेलन में वाणिज्यिक और आर्थिक कानूनों पर चर्चा होगी।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एक स्वतंत्र सोसायटी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इस अकादमी की महापरिषद के चेयरमैन हैं। सोसायटी के लिए धन की व्यवस्था केन्द्र सरकार करती है।

वर्ल्ड का पटाखा विरोधी अभियान शुरू

जयपुर। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत वर्ल्ड संगठन तथा माइक्रोसोफ्ट क्रियेट टू इन्सपायर स्कूल प्रोग्राम के तहत स्कूली विद्यार्थियों में पटाखों से होने वाले प्रदूषण, धन अपव्यय तथा दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पटाखा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है।

पशु-पक्षियों को पटाखों से होने वाली परेशानियों को देखते हुए विद्यार्थियों को वर्ल्ड संगठन के निदेशक मनीष सक्सेना द्वारा दीपावली के अवसर पर पटाखे ना चलाने की शपथ दिलाई जा रही है एवं पटाखों के पशु-पक्षियों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के बारे में भी विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है साथ ही पौधारोपण कर विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की मुहिम से जोड़ा जा रहा है।

वर्ल्ड संगठन के निदेशक मनीष सक्सेना ने बतलाया कि दीपावली के अवसर पर प्रतिवर्ष केवल जयपुर शहर में आठ से दस करोड़ के पटाखे जलाए जाते हैं तथा एक ही दिन में अत्यधिक हानिकारक गैसों के उत्सर्जन से खासकर बच्चों में श्वसन सम्बन्धी तकलीफें पैदा होती है एवं हजारों बच्चे पटाखों से झुलसने के कारण अस्पतालों में भर्ती करवाये जाते हैं।

समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पटाखा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत जयपुर के दस विद्यालयों के विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण संबंधित जानकारी दी गई तथा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

वर्ल्ड संगठन की उप-निदेशक नम्रता ने नीम का पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की तथा विद्यार्थियों को दीपावली पर पटाखे न चलाने की शपथ दिलाई।

पृथ्वीराज नगर : भूमि अवाप्ति मामले में हाईकोर्ट का स्टे

जयपुर। हाईकोर्ट ने पृथ्वीराज नगर क्षेत्र के गोल्यावास में 17 बीघा जमीन की अवाप्ति मामले में यथास्थिति का निर्देश दिया है। न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने कानाराम की याचिका पर सुनवाई की। अधिवक्ता अनिल मेहता ने बताया कि प्रार्थी की जमीन पूर्व में पृथ्वीराज नगर योजना के लिए अवाप्त की थी, लेकिन सरकार ने न तो जमीन का भौतिक कब्जा लिया और न ही प्रार्थी ने अवार्ड ही प्राप्त किया। सरकार ने 2002 में पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र में जमीन को अवाप्ति से मुक्त कर दिया था और 2008 में जमीन को अवाप्ति से मुक्त करने के आदेश को वापस ले लिया, जबकि सरकार एक बार जमीन को अवाप्ति से मुक्त करने के बाद फिर से अवाप्त नहीं कर सकती। याचिका में कहा कि नए भूमि अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत यदि अवार्ड जारी होने के पांच साल बाद भी कब्जा नहीं लिया है तो अवाप्ति शून्य मानी जाएगी, लिहाजा जेडीए को प्रार्थी की जमीन का कब्जा लेने से रोका जाए।

पाक्षिक
न्यायिक ज्वाला

आजीवन	:	रू. 1500/-
वार्षिक शुल्क	:	रू. 100/-
मासिक	:	रू. 10/-
एक प्रति	:	रू. 5/-

न्यायिक ज्वाला
एसबी-3, ओटीएस के सामने, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
फोन : 2701029, 2710110

परामर्श मण्डल
न्यायिक ज्वाला

1.	श्री जे.पी. बंसल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
2.	श्री दामोदर मिश्रा	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
3.	श्री वी.के. अग्रवाल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
4.	श्री डॉ.पी.एन. रछोया	सेवा निवृत्त अति. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस
5.	डा. मोहिनी शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज
6.	श्री के.सी. सेठी	एडवोकेट सुप्रीमकोर्ट
7.	श्री रामदयाल खंडेलवाल	संस्थानिक प्रतिनिधि
8.	श्री वी.एन. सक्सेना	एडवोकेट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। Website : www.nyayikjwala.org.
ई-मेल आई डी : sgs.nyayikjwala@yahoo.com, info@nyayikjwala.org. **पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।**